TEN RUPEES

समक्ष न्यायालय माननीय अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर, म0प्र0

PBR/विविध/बैतूल/भू-रा/2017/2047

प्रकरण क. 117

मूल प्रकरण क. आर.-1172, पी.बी.आर./16, बैतूल

मौजा वासपानी एवं शाकादेही तहसील जिला बैतूल

1. बसंती पिता इमरत बेबा फगना
आयु 60 वर्ष, निवासी-सिलपटी,
तहसील शाहपुर, जिला बैतूल म.प्र.
2 सेवन्ती पिता इमरत पति जोगी,
आयु 52 वर्ष, निवासी-सिलपटी,
तहसील शाहपुर, जिला बैतूल म.प्र.
3 गोपाल पिता ओझा आयु 44 वर्ष
4 उमराव पिता ओझा आयु 42 वर्ष
5 रघुवीर पिता ओझा आयु 40 वर्ष
6 धन्नू पिता ओझा आयु 38 वर्ष
7 भागूलाल पिता ओझा आयु 36 वर्ष
8 सालकराम पिता ओझा आयु 35 वर्ष
9 रुकमणी पिता ओझा आयु 33 वर्ष
10. दिलीप पिता ओझा आयु 31 वर्ष
उपरोक्त क्रमांक 3 से 8 सभी निवासी-
सेहरा, पोस्ट केसिया, तहसील शाहपुर,
जिला बैतूल म.प्र. ---- पुनरीक्षणकर्ता

रेखा ठाकुर क्र.1659 सां.ले. /2014 राजस्व आयुक्त, भोपाल

विरुद्ध

1 रामप्यारी पिता इमरत पति सज्जनलाल
आयु 52 वर्ष,
2 मुकेश पिता सज्जनलाल आयु 27 वर्ष
दोनो निवासी-शाकादेही, तहसील व जिला बैतूल
3 सरवती पिता मित्री आयु 56 वर्ष
निवासी-काल डोंगरी, पोस्ट बासनेर कलां
तहसील भैंसदेही, जिला बैतूल म.प्र. --- गैरपुनरीक्षणकर्ता

निरंतर....2

आवेदनपत्र वास्ते प्रकरण पुनः नंबर पर कायम किये जाने बाबत् अंतर्गत धारा 35 उपधारा 3 म.प्र. भू-राजस्व संहिता

आवेदक/रिवीजनकर्ता की ओर से निम्न निवेदन हे किः-

1 यह कि उक्त प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.06.2017 को अधिनस्थ विचार न्यायालय के रिकार्ड अर्थात् संशोधन पंजी को आहूत किये जाने हेतु नहीं आता, संशोधन पंजी आहूत किये जाने हेतु निहत्या माननीय न्यायालय के समक्ष चायकाल के पश्चात् पहुंच पाया, क्योंकि वह जिस बस में यात्रा कर रहा था, वह विलंब से भोपाल पहुंची, आवेदक जिला बैतूल के ग्रामीण अंचल से पैदल सड़क मार्ग पर आता है और वहां से उसे भोपाल के लिये बाजार से बस पकड़ना पड़ती है, बस का सफर लगभग 5.30 घण्टे का है, दिनांक 27.06.2017 को आवेदक न्यायालय पहुंचने पर जानकारी हुई कि उसके मामले में सुनवाई हेतु पुकार लगाकर आवेदक की अनुपस्थिति के कारण प्रकरण खारिज हो गया, क्योंकि कल नियत दिनांक को आवेदक स्वयं उपस्थित हुआ था तथा उसकी ओर से अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए थे, इसलिए वह जानकारी होती ही, दूसरे दिन अर्थात् आज दिनांक आवेदक अपनी ओर से अपने मामले को पुनः नंबर पर कायम करने हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर रहा है।

2 यह कि इस मामले में आवेदक की खानदानी कृषि भूमि में उसके हक और अधिकारों को विधिवत् रूप से समाप्त किये जाने और उनका नाम दर्ज नहीं किये जाने के वैधानिक आधारो पर अपने हित और अधिकारों की रक्षा हेतु यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की जा रही है, प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका पर गुणदोष पर सुनवाई आवश्यक है, अन्यथा आवेदक मैदान से वंचित हो जायेगा, प्रकरण में वैसे भी

निरंतर....3

सालकराम

अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड आहूत होना था, लेकिन उक्त रिकार्ड नहीं पहुंच पाया, इसलिए प्रकरण में कोई आगे की कार्यवाही नहीं हो पायी है। आज तक की अनुपस्थिति से किसी पक्षकारो के हित पर विपरीत पड़ा हो, ऐसी भी प्रकरण में परिस्थिति नहीं है, प्रकरण का गुणदोषो पर निराकरण किया जाना आवश्यक है।

अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि उक्त प्रकरण पुनः नंबर पर कायम किये जाने की कृपा की जाये तथा प्रंकरण का निराकरण गुणदोष के आधार परं करने की कृपा की जावे, जिससे न्यायदान में समुचित संविधान सुविधा होगी और पक्षकारो के साथ न्याय हो सकेगा, सादर अनुरोध के साथ आवेदनपत्र स्वीकार किये जाने की प्रार्थना है।

भोपाल — आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता

दिनांक 28/6/17 — द्वारा सालकराम

अधिवक्ता

वसन्ती / रामप्यारी

XXXIX(a)-BR(H)-11

(20)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पी.बी.आर./विविध/बैतूल जिला/भू.रा./17/2017

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-12-2017	आवेदकगण की ओर से श्री मनोहर हिरे, अभिभाषक उपस्थित। अनावेदक क्र. 1 व 2 की ओर से श्री जी.एस. बामने अभिभाषक उपस्थित। आवेदकगण के अभिभाषक एवं अनावेदक क्र. 1 व 2 के अभिभाषक द्वारा मूल प्रकरण लंबित है तर्क प्रस्तुत किये गये। ~~आदेशार्थ~~ मूल प्रकरण ~~अनिर्णीत~~ किया गया पद प्रकरण ... अध्यक्ष	28/12/17 28/12/17